

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा / मा / माध्य / बोर्ड परीक्षा / निर्देश / 2022/02/03-07 दिनांक : 22.03.2022

(1) समस्त संयुक्त निदेशक

स्कूल शिक्षा।

महत्वपूर्ण

(2) समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) माध्यमिक

अत्यावश्यक

विषय:- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा आयोज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा-2022 के सुचारू आयोजन एवं परीक्षा अवधि में राजकीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य के निर्विच्छन संचालन हेतु समुचित व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

प्रसंग:- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर द्वारा आयोज्य बोर्ड परीक्षा के सम्बन्ध में राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त परीक्षा समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण क्रमांक : प.

3(7)शिक्षा-6/2015, जयपुर, दिनांक : 24.01.22

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंगान्तर्गत लेख है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा आयोजित की जाने वाली उच्च माध्यमिक स्तर की परीक्षाएं 24 मार्च, 2022 से तथा माध्यमिक स्तर की परीक्षाएं 31 मार्च, 2022 से प्रारम्भ हो रही हैं। बोर्ड परीक्षा राज्य में सबसे बड़ी सार्वजनिक परीक्षा है, जिसमें तकरीबन 21.21 लाख विद्यार्थी सम्मिलित होंगे। इसके सफल संचालन के लिए शिक्षा विभाग की भी महती जिम्मेदारी है। उक्त परिप्रेक्ष्य एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किए जाते हैं :-

1. समस्त सम्भागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा एवं जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक को दिनांक : 09 मार्च, 2019 को बोर्ड कार्यालय में बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन सम्बन्धी जानकारी देने तथा इस संदर्भ में बोर्ड एवं शिक्षा अधिकारियों की पारस्परिक अपेक्षाओं का आदान-प्रदान कर परीक्षाओं के प्रभावी एवं सफल संचालन के संबंध में विचार-विमर्श हेतु आयोजित संभाग/जिला शिक्षा अधिकारियों (मुख्यालय) माध्यमिक की बोर्ड अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक में प्रदत्त निर्देशों के अनुरूप परीक्षाओं के सुचारू आयोजन हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। उक्त बैठक में बोर्ड द्वारा प्रदत्त परीक्षा आयोजन बाबत निर्देश पुस्तिका का गहनता से अध्ययन करते हुए प्रदत्त निर्देशों की पालना स्वयं तथा अधीनस्थ अधिकारियों/केन्द्राधीक्षकों/संस्था प्रधानों/परीक्षा डिप्टी में विभिन्न दायित्वों के निर्वहन हेतु नियुक्त अधिकारियों तथा कार्मिकों से करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों (मुख्यालय) माध्यमिक को यह निर्देशित किया जाता है कि बोर्ड परीक्षा के दौरान जिला स्तर पर जिला कलक्टर की तरफ से स्थानीय अवकाश घोषित किये जाने की स्थिति में तटिवस आयोज्य परीक्षाएं सुचारू रूप से संचालित की जाने हेतु जिला प्रशासन के समन्वय से आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें।
3. बोर्ड परीक्षा अवधि में वीक्षक डिप्टी नियोजन एवं निर्बाध शिक्षण व्यवस्था हेतु :-

बोर्ड परीक्षा हेतु गठित विभिन्न स्तर के उड़नदस्ता प्रभारियों, विभागीय निरीक्षण अधिकारियों तथा अन्य स्त्रों से मिले पृष्ठ पोषण के आधार पर बोर्ड परीक्षा के आयोजन हेतु विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर केन्द्राधीक्षक/जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर लगाई जाने वाली वीक्षक डिप्टीयों में अनियमितता एवं बिना आवश्यकता के लगाई जाने वाली वीक्षक डिप्टीयों के कारण परीक्षा अवधि में विशेषतः ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था बाधित होने संबंधी बातें सामने आई है। बोर्ड परीक्षा में निष्फल प्रयोजनार्थ लगाई जाने वाली वीक्षक डिप्टीयों की प्रवृत्ति पर प्रभावी नियंत्रण तथा परीक्षा अवधि में राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थी हितार्थ शिक्षण कार्य के निर्विच्छन एवं सुचारू संचालन हेतु प्रासंगिक परिपत्र दिनांक : 12.4.16 द्वारा प्रसारित स्थाई निर्देशों के अनुवर्तन में विभिन्न स्तरों पर अग्रांकित कार्यवाही सम्पादित की जानी सुनिश्चित करें : -

- I. बोर्ड परीक्षा-2022 के सफल संचालन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) माध्यमिक द्वारा आवश्यकतानुसार ही वीक्षक व केन्द्राधीक्षक लगाये जायेंगे। यह प्रतिनियुक्तियां ऑफलाईन की जा सकेंगी।
- II. कठिपप्य मामलों में यह देखने में आता है कि जिन विद्यालयों में बोर्ड परीक्षा केन्द्र स्थापित है, वहाँ पदस्थापित अधिकारियों/शिक्षकों की परीक्षा डिप्टी अन्यत्र परीक्षा केन्द्रों/बोर्ड नियंत्रण कक्ष/उड़नदस्ता/माइको ऑब्जर्वर/पेपर कॉर्डिनेटर आदि कार्यों हेतु लगा दी जाती है तथा उस परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा कार्य हेतु अन्यत्र स्थानों से अधिकारी/शिक्षक प्रतिनियुक्त किये जाते हैं, जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। अतः अपरिहार्य स्थितियों के अलावा बोर्ड परीक्षा केन्द्र वाले विद्यालयों से अधिकारियों/शिक्षकों की डिप्टी अन्यत्र नहीं लगाई जाएं। इसकी पालना अक्षरशः सुनिश्चित की जाये।

५।

- XV. जिन उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बोर्ड परीक्षा का केन्द्र स्थापित है तथा प्रधानाचार्य का पद रिक्त है, वहाँ यथा संभव उक्त विद्यालय के वरिष्ठतम् व्याख्याता, जिन्हें आहरण – वितरण का अधिकार दिया हुआ है, को ही केन्द्राधीक्षक नियुक्त किया जाए।
- XVI. विद्यार्थियों में नकल की प्रवृत्ति पर प्रभावी रोकथाम की पुख्ता व्यवस्था करने तथा अनुचित साधनों की रोकथाम हेतु “राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम-1992” का प्रचार – प्रसार समाचार-पत्रों एवं टी.वी. के माध्यम से किया जावे। परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने तथा उत्तर पुस्तिकाएं गिरने जैसी विभिन्न प्रकार की अफवाहों का तुरन्त खंडन कर प्रेस विज्ञप्ति दी जाये। परीक्षा व्यवस्था में कोताही बरतने वाले अधिकारियों/कार्मिकों के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही प्रारम्भ की जाए।
- XVII. परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केन्द्रों पर अतिरिक्त कक्षाएं लगाने, हॉस्टल चलाने तथा कोचिंग कक्षाएं चलाने पर पाबंदी लगाने बाबत आदेश जारी किए जाएं। यदि विद्यालय में हॉस्टल चलाना अपरिहार्य हो, तो वहाँ हॉस्टल की निगरानी हेतु एक ऑब्जर्वर लगाया जाए।
- XVIII. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) माध्यमिक अपने क्षेत्राधीन परीक्षा केन्द्रों में समस्त व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करते हुवे प्रभावी प्रबोधन करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी केन्द्र पर नकल न हो।
- XIX. नकल/अनियमितता के समस्त प्रकरणों पर गम्भीरता से कार्य करते हुवे तत्काल कार्यवाही करते हुए उच्चाधिकारियों का सूचित करना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी स्तर पर लापरवाही पाये जाने पर सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।
उपर्युक्तानुसार प्रदत्त निर्देशों के साथ ही बोर्ड एवं विभाग द्वारा समय-समय पर प्रसारित सम-सामयिक निर्देशों का पालन तत्परता से किया जाना सुनिश्चित करावें, जिससे कि बोर्ड परीक्षाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ सुचारू रूप से सम्पन्न करवाया जा सके।

(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार।
- 2 विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार।
- 3 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 4 निजी सचिव, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
- 5 शासन उप सचिव, शिक्षा (युप-6) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 6 समस्त जिला कलक्टर।
- 7 समस्त जिला पुलिस अधीक्षक।
- 8 सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर को बोर्ड द्वारा नियुक्त उड़न दस्ता/निरीक्षण दल प्रभारियों को प्रदत्त निर्देशों में समावेशन करने हेतु।
- 9 समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
- 10 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) प्रारंभिक।
- 11 समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- 12 समस्त यूसीईईओ/पीईईओ/संस्थाप्रधान/केन्द्राधीक्षक।
- 13 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब – साईट पर अपलोड एवं समस्त राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के ई-मेल पते पर प्रेषित करने हेतु।
- 14 स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
- 15 रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

- (v) अति. जिला शिक्षा अधिकारी कार्या. जिशिअ. (मु.) माध्य. सदस्य
- (vi) जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) प्रारम्भिक सदस्य
- इस कार्य में सभी सम्बन्धित उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, वृत्ताधिकारी, तहसीलदार एवं थानाधिकारी अपने—अपने क्षेत्र में संयुक्त निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्था व परीक्षा संचालन सुनिश्चित करेंगे। ये सभी अधिकारी जिला परीक्षा संचालन समिति के दिशा—निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे।
- II. परीक्षाओं के दौरान अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकने हेतु “राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम-1992” को प्रभारी ढंग से लागू किये जाने एवं अधीनस्थ प्रशासनिक अधिकारियों को क्षेत्र के दौरे के दौरान बोर्ड परीक्षा केन्द्रों का आवश्यक रूप से निरीक्षण करने हेतु शासन स्तर पर समस्त जिला कलक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया गया है। उक्तानुरूप जिला प्रशासन से आवश्यक समन्वय एवं सहयोग प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।
- III. प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) माध्यमिक एवं संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा कार्यालय में विगत वर्षों के अनुरूप ही जिला/संभाग स्तरीय परीक्षा नियन्त्रण कक्ष दिनांक : 22 मार्च 2022 से अन्तिम परीक्षा समाप्ति तक प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक स्थापित किये जाने हैं। नियन्त्रण-कक्ष प्रभारी तथा विविध पारियों में नियुक्त कर्मचारियों के पारी—वार नाम, नियन्त्रण कक्ष के फोन नंबर, ई—मेल पते के संबंध में सूचना बोर्ड कार्यालय के फैक्स संख्या 0145—2632869 पर आवश्यक रूप से प्रेषित की जावे, जिसकी प्रति निदेशालय की ई—मेल secondarydd2@gmail.com पर भी प्रेषित करें।
- IV. परीक्षा के दौरान समस्त नियन्त्रण कक्ष सतर्कता से कार्य करेंगे तथा नियन्त्रण केन्द्र द्वारा दी जाने वाली सूचनाएं यथासमय बोर्ड और निदेशालय के नियन्त्रण कक्ष को देना सुनिश्चित करेंगे।
- V. नियन्त्रण कक्ष परीक्षा में अनियमितता की सूचना प्राप्त होते ही सक्रिय होकर उक्त सूचना बाबत संबंधित उच्चाधिकारी तथा उस क्षेत्र में भ्रमण कर रहे उड़नदस्ते/निरीक्षण दल को सूचित कर तत्काल समुचित कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें।
- VI. बोर्ड कार्यालय में परीक्षाओं के सुसंचालन हेतु केन्द्रीय परीक्षा नियन्त्रण कक्ष दिनांक : 21.03.2022 को प्रातः 06:00 बजे से प्रारम्भ होगा, जो परीक्षा समाप्ति तक अनवरत/निर्वाध कार्यरत रहेगा। इस कण्ट्रोल रूम के टेलीफोन नंबर 0145—2632866, 2632867, 2632868 तथा मेल—आई डी ddexamfirst@gmail.com हैं। बोर्ड द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार परीक्षा पूर्व किये जाने वाले कार्यों की सुनिश्चितता यथा समय की जाए तथा सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं निर्देशानुसार “सूचना प्रेषण कोड” के माध्यम से बोर्ड नियन्त्रण कक्ष को दूरभाष पर नियमित रूप से भेजी जाए।
- VII. निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर में राज्य स्तरीय नियन्त्रण कक्ष की स्थापना की गई है, जो दिनांक 22.03.2018 से परीक्षा समाप्ति तक प्रातः 07:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक कार्यरत रहेगा। इस हेतु दूरभाष नंबर : 0151—2544043 हैं। उक्त नियन्त्रण कक्ष के प्रभारी श्री रमेश कुमार हर्ष, उप निदेशक (माध्यमिक), कार्यालय हाजा होंगे।
- VIII. किसी भी परीक्षा केन्द्र पर निजी विद्यालय का कोई भी कर्मी वीक्षक/पर्यवेक्षक/अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक या परीक्षा संबंधी अन्य कार्यों के लिए नियुक्त नहीं किया जाये।
- IX. गत वर्ष की परीक्षाओं में संदिग्ध तथा लापरवाह पाए गए अथवा दण्डित कर्मियों को इस वर्ष की परीक्षाओं में नियुक्त नहीं किया जावे।
- X. जिला शिक्षा अधिकारियों (मु.) माध्यमिक व संभागीय संयुक्त निदेशकों, स्कूल शिक्षा को बोर्ड द्वारा प्रदत्त अग्रिम राशि का सम्पूर्ण हिसाब कार्य समाप्ति के एक माह की अवधि में अवश्य भेजा जाना सुनिश्चित किया जावे।
- XI. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) माध्यमिक परीक्षा केन्द्रों पर होमगार्ड व पुलिस स्टाफ की तैनातीगे के लिए आवश्यकता वाले परीक्षा केन्द्रों की सूची व संख्या से यथासमय जिला पुलिस अधीक्षक को अवगत कराएंगे।
- XII. बोर्ड परीक्षा केन्द्रों पर समुचित फर्नीचर की व्यवस्था होना आवश्यक है। जहाँ फर्नीचर की कमी है, वहाँ सभीपर्वती राजकीय अथवा गैर सरकारी विद्यालयों से आवश्यकतानुसार फर्नीचर की व्यवस्था जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के माध्यम से यथासमय कर ली जाए।
- XIII. प्रायः यह देखने में आया है कि केन्द्राधीक्षक प्रश्न पत्र वितरण के दिन ही अचानक चिकित्सा अवकाश ले लेते हैं, जिससे प्रश्नपत्र वितरण जैसे अति महत्वपूर्ण कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिये संबंधितों का मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर ही अवकाश स्वीकृत किया जाए।
- XIV. जिन उ.प्रा.वि. को परीक्षा केन्द्र बनाया गया है, उनके संस्था प्रधानों को परीक्षा आयोजन हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान करने एवं परीक्षा आयोजन में नियुक्त प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों को तुरन्त कार्यमुक्त करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) से आदेश जारी करवाए जाएं।

51

III.

कार्यालय में कार्यरत अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (शैक्षिक प्रकोष्ठ) को उक्त कार्य हेतु दायित्वबद्ध करते हुए समस्त परीक्षा केन्द्रों को आवंटित परीक्षार्थी संख्या के अनुरूप प्रति परीक्षा दिवस हेतु वांछित वीक्षकों की संख्या का विवरण यथासमय तैयार करने हेतु निर्देशित करें।

IV.

तत्पश्चात् "शाला दर्पण" की सहायता से प्रत्येक परीक्षा केन्द्र से सम्बन्धित / समीपवर्ती राजकीय विद्यालय में कार्यरत स्टाफ के अनुरूप उपलब्ध वीक्षक संख्या का विवरण तैयार करावें। समस्त परीक्षा केन्द्रों हेतु केन्द्राधीक्षक / सहायक केन्द्राधीक्षक / पेपर कॉर्डिनेटर / माइक्रो ऑफिवर के नियुक्ति आदेश समय पर जारी करें।

V.

निजी शिक्षण संस्थाओं / राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं उन माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों के परीक्षा केन्द्रों, जहाँ सीमित स्टाफ के कारण अन्य स्थानों से वीक्षक लगाए जाने हैं, ऐसे समस्त परीक्षा केन्द्रों पर वीक्षकों की प्रतिनियुक्ति का कार्य जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) माध्यमिक कार्यालय द्वारा यथासमय सम्पन्न कर लिया जाए।

VI.

ग्रामीण क्षेत्रों में वीक्षकों की आवश्यकतानुसार प्रतिनियुक्ति उसी ब्लॉक (यथा संभव परीक्षा केन्द्र से सम्बन्धित ग्राम पंचायत क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों को प्राथमिकता देते हुए) के समीपवर्ती राजकीय विद्यालयों, जहाँ परीक्षा केन्द्र नहीं है, से की जाए। परीक्षा केन्द्र पर प्रतिनियुक्त वीक्षकों की ड्यूटी सम्पूर्ण परीक्षा दिवसों हेतु नियोजित करते हुए जिस दिन कम वीक्षकों की आवश्यकता हो, उक्त दिवस हेतु वीक्षक ड्यूटी से मुक्त समस्त शिक्षकों को उनके पदस्थापित विद्यालय में शिक्षण कार्य के लिए उपस्थिति देने हेतु निर्देशित करें।

VII.

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की वीक्षण कार्य हेतु ड्यूटी अपरिहार्य स्थिति में लगाई जा सकती है। जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) प्रारम्भिक, जो कि जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति के सदस्य होते हैं, उक्त बाबत समुचित निर्देश क्षेत्राधिकार के अधीनस्थ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों (CBEO) तथा पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों (PEEO) को प्रदान करेंगे।

VIII.

जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) माध्यमिक परीक्षा आयोजन संबंधी क्रियाकलापों / गतिविधियों के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु बोर्ड कार्यालय के सीधे सम्पर्क में होते हैं, अतः बोर्ड परीक्षा के दौरान वीक्षकों की ड्यूटी लगाए जाने से सम्बन्धित कार्य के सुसंगत एवं आवश्यकतानुरूप निष्पादन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर पर एवं केन्द्राधीक्षकों से निम्नांकित विवरणानुसार कार्य सम्पादन अपेक्षित है :—

6. केन्द्राधीक्षक के दायित्व :—

I. समस्त केन्द्राधीक्षक बोर्ड द्वारा जारी केन्द्राधीक्षकों के लिये निर्देश बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर उसका भली-भांति अध्ययन करेंगे तथा इन निर्देशों के प्रकाश में समस्त परीक्षा व्यवस्था का संचालन करेंगे।

II. समस्त परीक्षा केन्द्रों हेतु वीक्षक प्रबंधन जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) माध्यमिक द्वारा किया जाना है। फिर भी यदि ग्रामीण क्षेत्रों में वीक्षकों की कमी रहती है तो केन्द्राधीक्षक जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) माध्यमिक को सूचित करते हुवे संबंधित पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) से उचित समन्वय रखते हुए समीपवर्ती प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की ड्यूटी वीक्षण कार्य हेतु लगा सकेंगे।

7. संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा द्वारा समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन :—

संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्राधिकार में उपर्युक्तानुसार प्रदत्त निर्देशों की कठोरता से पालना एवं अक्षरशः क्रियान्वयन सुनिश्चित की जाएगी। उक्त कार्य के प्रभावी प्रबोधन हेतु उपनिदेशकों द्वारा सम्पूर्ण परीक्षा अवधि के दौरान अधीनस्थ जिलों में बोर्ड परीक्षा केन्द्रों तथा विद्यालयों का सतत निरीक्षण करते हुए केन्द्राधीक्षकों द्वारा वीक्षण ड्यूटी में बरती जा रही पारदर्शिता एवं संस्था प्रधानों द्वारा विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था के सुचारू संचालन की वस्तुस्थिति का परीक्षण किया जाएगा। किसी भी स्थिति में निर्देशों / नियमों की अवहेलना / उदासीनता पाई जाने पर तत्काल सम्बन्धित अधिकारी / कार्मिक के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की जानी सुनिश्चित करेंगे।

8. अन्य महत्वपूर्ण निर्देश :—

I. विगत वर्षों की भाँति इस वर्ष भी बोर्ड परीक्षा के शान्ति पूर्वक संचालन, परीक्षाओं के दौरान लाउड स्पीकर्स, ध्वनि विस्तारक यन्त्रों पर पावन्दी लगाने, परीक्षा केन्द्रों पर नकल व अनुचित साधनों का उपयोग करने वाले परीक्षार्थियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही व परीक्षा केन्द्रों पर किसी प्रकार की असामान्य स्थिति उत्पन्न न हों, इस हेतु शासन स्तर पर लिये गये निर्णयानुसार "जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति निम्नानुसार गठित की गई है :—

- (i) जिला कलक्टर
- (ii) जिला पुलिस अधीक्षक
- (iii) मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
- (iv) जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) माध्यमिक

- | | |
|------------|--|
| अध्यक्ष | |
| सह-अध्यक्ष | |
| सदस्य | |
| सदस्य सचिव | |

92

- III. जिस विद्यालय में बोर्ड का परीक्षा केन्द्र है, उस विद्यालय के एक शिक्षक को छोड़कर (जो उस विद्यालय के परीक्षार्थी विद्यार्थियों हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर एस्कॉर्ट्स के रूप में नियुक्त किया जाता है) अन्य किसी भी शिक्षक को अन्यत्र परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा ड्यूटी हेतु नहीं लगाया जाए।
- IV. परीक्षा केन्द्र वाले विद्यालय में पदस्थापित सभी शिक्षकों की वीक्षक के रूप में ड्यूटी लगाई जाए, बरतें कि किसी व्यक्ति विशेष को तात्कालिक कारणों (रक्त संबंधी के उक्त केन्द्र पर परीक्षार्थी होने अथवा विषयाध्यापक से संबंधित विषय की परीक्षा दिवस को अथवा अन्य किसी आवश्यक कारण) से वीक्षण कार्य करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया हो।
- V. वीक्षण ड्यूटी से शेष शिक्षकों हेतु संस्था प्रधान द्वारा विद्यालय की बोर्ड कक्षाओं के अतिरिक्त कक्षाओं में अच्युतनरत विद्यार्थियों हेतु परीक्षा समाप्ति के उपरांत नियमित कक्षा शिक्षण / उपचारात्मक शिक्षण (रिमेडियल टीचिंग) की व्यवस्था समय प्रबंधन करते हुए सुनिश्चित की जाए, जिससे कि विद्यार्थियों का नियमित शिक्षण कार्य एवं अभ्यास स्थानीय परीक्षाओं के आयोजन तक जारी रखा जा सके। वीक्षण कार्य एवं शिक्षण कार्य, दोनों हेतु विद्यालय के समस्त शिक्षकों की ड्यूटी रोटेशन के आधार पर लगाई जाए।
- VI. ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षकों को किसी भी स्थिति में शहरी क्षेत्र में स्थित किसी भी बोर्ड परीक्षा केन्द्र पर वीक्षक ड्यूटी पर नहीं लगाया जाए। ऐसा पाया जाने पर सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अमल में लाइ जायेगी।
- VII. प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षकों की ड्यूटी यथासंभव माध्यमिक शिक्षा के परीक्षा केन्द्रों पर नहीं लगाई जाए।
- VIII. वीक्षकों का चयन एवं प्रबंधन के लिये बोर्ड परीक्षा संचालन निर्देशिका के बिन्दु संख्या 15 व 16 की पालना सुनिश्चित की जाये।
4. वीक्षक ड्यूटी अभिलेख संधारण : -
- I. बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी के नाम से अनियमितता की प्रवृत्ति पर प्रभावी नियंत्रण हेतु समस्त केन्द्राधीक्षकों को स्पष्ट हिदायत प्रदान की जाती है कि वीक्षक ड्यूटी से सम्बन्धित रजिस्टर का पृथक् से संधारण करते हुए प्रति दिवस वीक्षक ड्यूटी करने वाले शिक्षकों की प्रविष्टि उक्त रजिस्टर में आवश्यक रूप से करें। इसी प्रकार समस्त वीक्षकों से परीक्षा दिवस से पहले पूर्व सूचनार्थ हस्ताक्षर करवा लिए जाएं तथा परीक्षा दिवस को वीक्षक ड्यूटी पर उपस्थिति स्वरूप भी हस्ताक्षर करवाए जाएं।
 - II. केन्द्राधीक्षक परीक्षा केन्द्र पर आने वाले समस्त उड़नदस्ता प्रभारियों/विभागीय निरीक्षण अधिकारियों को परीक्षा सम्बन्धी अन्य अभिलेखों के साथ उक्त वीक्षण ड्यूटी रजिस्टर का अवलोकन करवाते हुए हस्ताक्षर करवाएंगे।
 - III. केन्द्राधीक्षक उक्त वीक्षक ड्यूटी रजिस्टर में अंकित शिक्षकों के अलावा अन्य किसी भी शिक्षक की किसी भी स्थिति में बोर्ड परीक्षा प्रयोजनार्थ उपस्थिति प्रमाणित नहीं करेंगे।
 - IV. बोर्ड परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण करने वाले समस्त उड़नदस्ता प्रभारियों तथा विभागीय अधिकारियों को भी निर्देशित किया जाता है कि वे बोर्ड परीक्षा केन्द्र के निरीक्षण के दौरान वीक्षक ड्यूटी रजिस्टर का आवश्यक रूप से अवलोकन करते हुए इस तथ्य का विश्लेषण करें कि केन्द्राधीक्षक द्वारा वीक्षक ड्यूटी हेतु नियोजित शिक्षकों की व्यवस्था आवश्यकतानुरूप ही की गई है अथवा नहीं।
 - V. केन्द्राधीक्षक द्वारा निर्देशों के विपरीत कार्यवाही पाई जाने की अवस्था में उक्त तथ्य का खुलासा निरीक्षण रिपोर्ट में करते हुए सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।
 - VI. जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) माध्यमिक वीक्षक ड्यूटी में अनियमितता पर तत्काल प्रसंज्ञान लेकर सम्बन्धित के विरुद्ध सक्षम स्तर पर अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित करेंगे। साथ ही सम्बन्धित परीक्षा केन्द्र/विद्यालय में व्यवस्था दुरुस्तीकरण की कार्यवाही भी तत्काल सुनिश्चित की जाए।
5. जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की दायित्वबद्धता : -
- I. बोर्ड परीक्षा आयोजन हेतु शासन स्तर से गठित "जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति" के सदस्य सचिव के रूप में जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) माध्यमिक सम्पूर्ण जिले में परीक्षा के सुचारू एवं सफल संचालन हेतु प्रथमतः जिम्मेवार हैं। उक्तानुरूप बोर्ड परीक्षा में वीक्षक ड्यूटी के नाम पर मानवीय संसाधनों के दुरुपयोग को रोके जाने तथा उक्त परीक्षा के दौरान क्षेत्राधिकार के विद्यालयों में बोर्ड परीक्षा के साथ-साथ शिक्षण व्यवस्था के भी सुचारू संचालन हेतु भी सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) माध्यमिक/प्रारम्भिक तथा समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का उत्तरदायित्व है। बोर्ड परीक्षा के साथ में शिक्षण कार्य सुचारू संचालन के लिए उक्त सभी को दायित्वबद्ध किया जाता है।
 - II. बोर्ड परीक्षाओं के प्रारम्भ होने से पूर्व ही सम्पूर्ण जिले के बोर्ड परीक्षा केन्द्रों से सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण/सामग्री बोर्ड कार्यालय से समन्वय रखते हुए यथा समय प्राप्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

5/